(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

म्हादूराम पुत्र मोहन जाति कीर निवासी कीरों की ढाणी तन भरवाड़ी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।	–बनाम–	मोहन पुत्र हनुमान जाति कीर निवासी कीरों की ढाणी तन भरवाड़ी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
किस्म मुकदमा– दावाः घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. 55 / 2023 RCMS No.

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
10.05.23	आज यह वाद वादीगण की ओर से वकील श्री **सुभाष चन्द्र आर्य** द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो,। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण यदि तहसील क्षैत्र नवलगढ़ के बाहर के हो तो तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 17/5/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू	
18/5/23	पत्रावली आज "सुशासन गांवो के संग अभियान - 2023" केम्प में देवा की ढाणी में पेश हुई। प्रतिवादी/ पक्षकारान उप./ अनु.। पक्षकारान में मुकदमा के बारे में समझाईश की गई। राजीनामा नही हुआ। अतः पत्रावली न्यायालय हाजा में दिनांक 28/6/23 को पेश हो। शिविर प्रभारी सुशासन गांवो के संग अभि.2023, पं.स. नवलगढ़	
28/6/23	पत्रावली पेश हुई। तलबीस वादी उपस्थित है प्रकरण को नोट प्रेस कर आगे नही चलाना चाहा। अतः वादी द्वारा नोट प्रेस के आधार पर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पर्ज नम्बर से प्रभा हो तथा बाद तहमीम जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फा. ट्रे.) नवलगढ़	Note press

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:10:41 IST
Reason: SelfAttested